न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं. 17/2024 दायरा दिनांक 09.01.2024

1. संदीप कुमार
2. सुभाषचन्द्र
3. सुरेन्द्र कुमार

पुत्रगण ओमप्रकाश अकवाम जाट निवासीयान संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र इमीलाल जाति जाट निवासी संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ भूमिधारी।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार एडवोकेट – प्रार्थीगण
2. श्री कुलविन्द्रसिंह एडवोकेट – अप्रार्थी नं. 1
3. पेरोकार राज नायब तहसीलदार – अप्रार्थी नं. 2

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 08.02.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम से तहसील सूरतगढ़ के चक 9 एस.जी.आर. के खाता संख्या 6/5 के पत्थर नं. 24/309 के किला नं. 8/1 में 0.114, 19/1 में 0.013 = 0.127 हैक. व पत्थर नं. 25/310 के किला नं. 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 7–8/0.506, 12/1 में 0.114, 13–14/0.506, 15/2 में 0.038, 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025, 17 ता 19/0.759, 22 ता 24/0.759, 25/1 में 0.228, 25/2 में 0.025 = 3.694 हैक. नहरी मय खाला इस प्रकार कुल 3.821 हैक. नहरी मय खाला भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। अप्रार्थी नं. 1 के नाम चक 9 एस.जी.आर. के पत्थर नं. 24/310 के किला नं. 1–2/0.506, 9 ता 12/1.012, 13/1 में 0.051, 18 ता 23/1.518 = 3.087 हैक. व पत्थर नं. 25/310 के किला नं. 5/1 में 0.202, 5/2 में 0.051, 6/1 में 0.228, 6/2 में 0.025, 15/1 में 0.025, 15/3 में 0.190 = 0.721 हैक. इस प्रकार कुल 3.808 हैक. भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी नं. 1 की भूमि खातेदारी है व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का अलग अलग किलाजात है। अलग अलग किलाजात के अनुसार

लगातार पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी कब्जा काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी काबिज काश्त भूमि को करावा लगाकर व रुड़ी डालकर समतल व उपजाऊ किया है। समतल व उपजाऊ किस्म की भूमि को देखकर अप्रार्थी के मन में बदनियती आ गयी है और प्रार्थीगण की समतल व सुधारी हुई भूमि में जबरदस्ती अतिक्रमण करने की फिराक में है। इसलिए प्रार्थीगण, अप्रार्थी के खिलाफ इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है कि वो प्रार्थीगण की खातोदरी भूमि व कब्जा काश्त व सुधारी तथा समतल भूमि में अप्रार्थी किसी तरह की दखलदाजी ना तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई। दिनांक 09.01.2024 को जैर प्रकरण रकबा चक 9 एस.जी.आर. के खाता संख्या 6/5 के पत्थर नं. 24/309 के किला नं. 8/1 में 0.114, 19/1 में 0.013 = 0.127 हैक. व पत्थर नं. 25/310 के किला नं. 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 7–8/0.506, 12/1 में 0.114, 13–14/0.506, 15/2 में 0.038, 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025, 17 ता 19/0.759, 22 ता 24/0.759, 25/1 में 0.228, 25/2 में 0.025 = 3.694 हैक. नहरी मय खाला इस प्रकार कुल 3.821 हैक. नहरी मय खाला भूमि में अप्रार्थी, नं. 1 ना तो स्वंय दखल अदांजी करे व ना ही किसी अन्य से करावे का स्थगन आदेश जारी किया गया। अप्रार्थी नं. 1 की तरफ से श्री कुलविन्द्रसिंह एडवोकेट हाजिर आये व अप्रार्थी नं. 1 के और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, शामिल मिसल रहे। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 29.01.2024 को पेश हो। दिनांक 02.02.2024 को उभयपक्ष उप. बहस की गई अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कभी भी अतिक्रमण करने की कोशिश नही की गई है। मुझ अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण के नाम के खातेदारी रकबा चक 9 एस.जी.आर. के पत्थर नं. 25/310 के किला नं. 3 व 4 में रास्ता स्वीकृत करने हेतू श्रीमान् न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 (क) में प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा वाद पत्र झूठे एवं मनगढ़त तथ्यो के आधार पेश कर अप्रार्थी के खिलाफ स्थगन प्राप्त करने हेतू पेश किया था। ताकि अप्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता ना देना पड़े। अप्रार्थी व प्रार्थीगण की भूमि अलग अलग किला जात में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक 9 एस.जी.आर. के पत्थर नं. 25/310 के किला नं. 1/0.013 (उतरी पासा), 2/0.013 (उतरी पासा) = 0.026 हैक. भूमि कृष्णलाल पुत्र हजारीराम से जरिये रजि. बैयनामा दिनांक 04.07.2016 से खरीद शुदा है। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने हेतू श्रीमान् न्यायालय में एक वाद पत्र अर्न्तगत धारा 53, 88, 92ए, 188, 209 आर.टी.ए. में पेश किया हुआ है।

लगातार पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अधिवक्तागण अप्रार्थी की बहस सुनी गई व अप्रार्थी नं. 1 की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात पाया गया की उक्त जैर प्रकरण रकबा चक 9 एस.जी.आर. के खाता संख्या 6/5 के पत्थर नं. 24/309 के किला नं. 8/1 में 0.114, 19/1 में 0.013 = 0.127 हैक. व पत्थर नं. 25/310 के किला नं. 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 7–8/0.506, 12/1 में 0.114, 13–14/0.506, 15/2 में 0.038, 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025, 17 ता 19/0.759, 22 ता 24/0.759, 25/1 में 0.228, 25/2 में 0.025 = 3.694 हैक. नहरी मय खाला इस प्रकार कुल 3.821 हैक. नहरी मय खाला भूमि में अप्रार्थी नं. 1 जबरदस्ती अतिक्रमण करने की फिराक में है तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता अर्ज किया की अप्रार्थी द्वारा रास्ते का प्रकरण श्रीमान् जी के समक्ष पेश कर रखा है जिसमें मन्जूर शुदा रास्ता की मांगकर पत्थर नं. 25/310 के किला नं. 3 व 4 में मांग की है जबकि मन्जूर शुदा रास्ता पत्थर नं. 26/310 के किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 को जोड़ते हुये मांग ना कर मात्र परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी को पत्थर नं. 24/310 के किला नं. 3, 4, 5 में मौका पर रास्ता चालू है। जो मन्जूर शुदा रास्ता 23/310 के किला नं. 1 को जोड़ते हुये चालू है। जो रिकॉर्ड से पूर्णतया साबित है जबकि जैर प्रकरण रकबा प्रार्थीगण खातेदार कृषक है तथा उक्त रकबा पर जारी स्थगन आदेश को यथावत् रखना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी को मूल दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वो वाके चक 9 एस.जी.आर. के खाता संख्या 6/5 के पत्थर नं. 24/309 के किला नं. 8/1 में 0.114, 19/1 में 0.013 = 0.127 हैक. व पत्थर नं. 25/310 के किला नं. 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 7–8/0.506, 12/1 में 0.114, 13–14/0.506, 15/2 में 0.038, 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025, 17 ता 19/0.759, 22 ता 24/0.759, 25/1 में 0.228, 25/2 में 0.025 = 3.694 हैक. नहरी मय खाला इस प्रकार कुल 3.821 हैक. नहरी मय खाला भूमि में अप्रार्थी, नं. 1 ना तो स्वंय दखल अदांजी करे व ना ही किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
एंव सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)